

न्यायालय
अधीक्षक भू-अभिलेख (परि.भूमि.) जांजगीर-चाम्पा
(परिवर्तित भूमि पर पुर्निर्धारण, प्रब्याजि तथा जुर्माना का सूचना पत्र)

नोटिस प्रपत्र "बी"

बनाम

मेसर्स के.एस.के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड की ओर से महाप्रबंधक निवासी ग्राम.....

प. ह. न. तहसील अकलतरा जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)

(1) आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि पर गैर-काश्तकारी उपयोग में लाये जाने के कारण राजस्व मामला क्रमांक 208/अ-2/2008-09 के अन्तर्गत कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी जांजगीर के आदेश दिनांक 17.07.2009 के अनुसार निम्नलिखित पुर्ननिर्धारण (जमा निर्धारण) किया गया है। अधीक्षक भू-अभिलेख परि.भूमि जांजगीर के राजस्व प्र. क्र. 159.....बी-121/2016-17 आदेश दिनांक 21.6.17 के अनुसार

नाम ग्राम मय बन्दोबस्त नम्बर प.ह.न.	खसरा नम्बर सर्वे नम्बर प्लॉट नम्बर	परिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल	अंतिम रूप से निर्धारित किया गया संशोधित पुर्ननिर्धारण (जमा)
ग्राम - अमोरा प.ह.न. - 14 तहसील- अकलतरा जिला-जांजगीर-चांपा	योग -23 सूची संलग्न हैं। प्लॉट नम्बर 79	18.45 एकड़ (804420 वर्ग फुट) (औद्योगिक)	पुनर्निर्धारण 97737.00 रु.वार्षिक पंचायत उपकर 48969.00 रु.वार्षिक अ.सं.वि.उ.कर 7,330.00 रु.वार्षिक पर्यावरण उप. 7,330.00 रु.वार्षिक देय दिनांक 01.10.2008 अर्थदण्ड..... निरंक कृषि भू.रा. कमी 22.16 रु.



टीप:-

- चालान क्रमांक. 198/16885667 दिनांक 17.07.2009 के द्वारा पु.नि.,पं.उ.कर एवं प्रब्याजि योग 368106.00 रुपये जमा किया गया है।
- संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश बिलासपुर के शर्तों का पालन अनिवार्य है।
- छ.ग.शासन पर्यावरण विभाग के नियमानुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य है।
- अन्य किसी भूमि-स्वामी के भूमि तक पहुचने के लिये रास्तें बंद नही किये जायेगे।
- गंदा जल निकास/शुद्धीकरण के लिये पर्याप्त एवं उचित उपाय किया जायेगा।
- किसी भी प्रकार सार्वजनिक हित में व्यवधान उत्पन्न होने पर अनुज्ञा रद्द मानी जावेगी।

(2) आपको यह भी सूचित किया जाता है कि काश्तकारी भूमि गैर काश्तकारी भूमि कामो में परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप आप पर प्रीमियम (प्रब्याजि) 221400.00 रु और जुर्माना. निरंक रु. किया जाता है, जो आप खजाने में जमा कर चालान दिनांक 17.07.2009 को इस अदालत में प्रस्तुत किया है।

अधीक्षक भू-अभिलेख

परिवर्तित भूमि

जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

Detail Of Survey No . For Diversion Village -Amora				
Sl.No.	Survey No.		Hactore	Acre
1	991 /	2	0.376	0.93
2	1041 /	4	0.146	0.36
3	1041 /	5	0.146	0.36
4	1065 /	1	0.599	1.48
5	1066 /	1	0.202	0.50
6	1066 /	2	0.101	0.25
7	1258 /	2	0.324	0.80
8	1361 /	1	0.138	0.34
9	1272 /	4	0.283	0.70
10	1335 /	11	0.069	0.17
11	1349 /		0.178	0.44
12	1350 /		0.081	0.20
13	1358 /	1	0.138	0.34
14	1358 /	3	0.227	0.56
15	1361 /	1	0.170	0.42
16	1366 /		0.918	2.27
17	1384 /	2	0.202	0.50
18	1386 /		0.170	0.42
19	1392 /		0.397	0.98
20	1398 /	2	0.089	0.22
21	1408 /	3	0.870	2.15
22	1408 /	4	0.267	0.66
23	1409 /		1.376	3.40
Total			7.467	18.45



21.06.17
अधीक्षक भू-अभिलेख

परिवर्तित भूमि

जिल्हा-जो. कोर-चाम्पा (छ.ग.)

न्यायालय
अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि
जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.)

अदालत अधीक्षक भू-अभिलेख (परि.भूमि.) जांजगीर-चाम्पा

(परिवर्तित भूमि पर पुर्निर्धारण, प्रब्याजि तथा जुर्माना का सूचना पत्र)

नोटिस प्रपत्र "बी"

बनाम

मेसर्स के.एस.के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड की ओर से महाप्रबंधक निवासी ग्राम.....

प. ह. न. तहसील अकलतरा जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)

(1) आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि पर गैर-काश्तकारी उपयोग में लाये जाने के कारण राजस्व मामला क्रमांक **243/अ-2/2008-09** के अन्तर्गत कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी जांजगीर के आदेश दिनांक **30.07.2009** के अनुसार निम्नलिखित पुनर्निर्धारण (जमा निर्धारण) किया गया है। अधीक्षक भू-अभिलेख परि.भूमि जांजगीर के राजस्व प्र. क्र. **159.....बी-121/2016-17** आदेश दिनांक **21.6.17** के अनुसार

नाम ग्राम मय बन्दोबस्त नम्बर प.ह.न.	खसरा नम्बर सर्वे नम्बर प्लॉट नम्बर	परिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल	अंतिम रूप से निर्धारित किया गया संशोधित पुर्ननिर्धारण (जमा)
ग्राम - अमोरा प.ह.न. - 14 तहसील- अकलतरा जिला-जांजगीर-चांपा	योग -26 सूची संलग्न हैं। प्लॉट नम्बर 80	11.92 एकड़ (519712 वर्ग फुट) (औद्योगिक)	पुनर्निर्धारण 63145.00 रु.वार्षिक पंचायत उपकर 31573.00 रु.वार्षिक अ.सं.वि.उ.कर 4,736.00 रु.वार्षिक पर्यावरण उप. 4,736.00 रु.वार्षिक देय दिनांक 01.10.2008 अर्थदण्ड..... निरंक कृषि भूरा. कमी 10.31 रु.



टीप:-

- चालान क्रमांक. **140/13491258** दिनांक **31.07.2009** के द्वारा पु.नि., पं.उ.कर एवं प्रब्याजि योग **237758.00** रुपये जमा किया गया है।
- संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश बिलासपुर के शर्तों का पालन अनिवार्य है।
- छ.ग.शासन पर्यावरण विभाग के नियमानुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य है।
- अन्य किसी भूमि-स्वामी के भूमि तक पहुंचने के लिये रास्ते बंद नहीं किये जायेगे।
- गंदा जल निकास/शुद्धीकरण के लिये पर्याप्त एवं उचित उपाय किया जायेगा।
- किसी भी प्रकार सार्वजनिक हित में व्यवधान उत्पन्न होने पर अनुज्ञा रद्द मानी जावेगी।

(2) आपको यह भी सूचित किया जाता है कि काश्तकारी भूमि गैर काश्तकारी भूमि कामो में परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप आप पर प्रीमियम (प्रब्याजि) **143040.00 रु** और जुर्माना. निरंक रु. किया जाता है, जो आप खजाने में जमा कर चालान दिनांक **31.07.2009** को इस अदालत में प्रस्तुत किया है।

21.06.17
अधीक्षक भू-अभिलेख
परिवर्तित भूमि
जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

Detail of Survey No. For Diversion Village - Amora

Sl.Nos.	Village	Survey No.	Hactore	Acre
1	Amora	994/2	0.129	0.32
2		1041/6	0.182	0.45
3		1272/5	0.243	0.60
4		1272/9	0.105	0.26
5		1272/10	0.202	0.50
6		1272/11	0.182	0.45
7		1272/12	0.150	0.37
8		1315	0.336	0.83
9		1327/2	0.194	0.48
10		1327/3	0.101	0.25
11		1327/4	0.053	0.13
12		1327/5	0.049	0.12
13		1335/6	0.202	0.50
14		1347/1	0.146	0.36
15		1347/2	0.146	0.36
16		1347/3	0.295	0.73
17		1354/3	0.223	0.55
18		1355	0.227	0.56
19		1361/1	0.170	0.42
20		1363/1	0.138	0.34
21		1376	0.777	1.92
22		1378	0.101	0.25
23		1383	0.069	0.17
24		1387/1	0.089	0.22
25		1389/2	0.202	0.50
26		1393	0.113	0.28
		Toatl	4.824	11.92



21.06.17
अधीक्षक भू-अभिलेख
परिवर्तित भूमि
जिला-जौजगीर-बाम्पा (छ.ग.)

न्यायालय
अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि
जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.)

अदालत अधीक्षक भू-अभिलेख (परि.भूमि.) जांजगीर-चाम्पा
(परिवर्तित भूमि पर पुर्निर्धारण, प्रब्याजि तथा जुर्माना का सूचना पत्र)

नोटिस प्रपत्र "बी"

बनाम

मेसर्स के.एस.के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड की ओर से महाप्रबंधक निवासी ग्राम.....

प. ह. न. तहसील अकलतरा जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)

(1) आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि पर गैर-काश्तकारी उपयोग में लाये जाने के कारण राजस्व मामला क्रमांक 275/अ-2/2008-09 के अन्तर्गत कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी जांजगीर के आदेश दिनांक 19.08.2009 के अनुसार निम्नलिखित पुनर्निर्धारण (जमा निर्धारण) किया गया है। अधीक्षक भू-अभिलेख परि.भूमि जांजगीर के राजस्व प्र. क्र. 159.....बी-121/2016-17 आदेश दिनांक 21-6-17 के अनुसार

नाम ग्राम मय बन्दोबस्त नम्बर प.ह.न.	खसरा नम्बर सर्वे नम्बर प्लॉट नम्बर	परिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल	अंतिम रुप से निर्धारित किया गया संशोधित पुर्ननिर्धारण (जमा)
ग्राम - अमोरा प.ह.न. - 14 तहसील- अकलतरा जिला-जांजगीर-चांपा	योग -38 सूची संलग्न हैं। प्लॉट नम्बर 81	22.76 एकड़ (992336 वर्ग फुट) (औद्योगिक)	पुनर्निर्धारण 120569.00 रु.वार्षिक पंचायत उपकर 60285.00 रु.वार्षिक अ.सं.वि.उ.कर 9,043.00 रु.वार्षिक पर्यावरण उप. 9,043.00 रु.वार्षिक देय दिनांक 01.10.2008 अर्थदण्ड..... निरंक कृषि भूरा. कमी 21.82 रु.



टीप:-

- चालान क्रमांक. 00/44/018925196 दिनांक 20.08.2009 के द्वारा पु.नि.,पं.उ.कर एवं प्रब्याजि योग 453974.00 रु. जमा किया गया है।
- संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश बिलासपुर के शर्तों का पालन अनिवार्य है।
- छ.ग.शासन पर्यावरण विभाग के नियमानुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य है।
- अन्य किसी भूमि-स्वामी के भूमि तक पहुचने के लिये रास्तें बंद नही किये जायेगे।
- गंदा जल निकास/शुद्धीकरण के लिये पर्याप्त एवं उचित उपाय किया जायेगा।
- किसी भी प्रकार सार्वजनिक हित में व्यवधान उत्पन्न होने पर अनुज्ञा रद्द मानी जावेगी।

(2) आपको यह भी सूचित किया जाता है कि काश्तकारी भूमि गैर काश्तकारी भूमि कामो में परिवर्तित किये जाने के फलस्वरुप आप पर प्रीमियम (प्रब्याजि) 263120.00 रु और जुर्माना. निरंक रु. किया जाता है, जो आप खजाने में जमा कर चालान दिनांक 20.08.2009 को इस अदालत में प्रस्तुत किया है।

अधीक्षक भू-अभिलेख
परिवर्तित भूमि
जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

**Detail Of Survey No Submitted For
Diversion Village -Amora**

Sl.Nos.	Survey No.		Hacore	Acre
1	987 /	1	0.304	0.75
2	987 /	2	0.243	0.60
3	987 /	4	0.202	0.50
4	988 /	1	0.259	0.64
5	991 /	4	0.372	0.92
6	999 /	2	0.364	0.90
7	1005 /	1	0.419	1.04
8	1006 /	7	0.150	0.37
9	1006 /	8	0.320	0.79
10	1006 /	16	0.886	2.19
11	1006 /	22	0.409	1.01
12	1039 /	1	0.284	0.70
13	1039 /	2	0.150	0.37
14	1039 /	3	0.478	1.18
15	1039 /	4	0.368	0.91
16	1039 /	5	0.069	0.17
17	1039 /	6	0.283	0.70
18	1039 /	7	0.073	0.18
19	1040 /	1	0.057	0.14
20	1040 /	2	0.126	0.31
21	1040 /	5	0.057	0.14
22	1040 /	6	0.125	0.31
23	1041 /	2	0.304	0.75
24	1041 /	7	0.121	0.30
25	1041 /	9	0.384	0.95
26	1042 /	3	0.454	1.12
27	1042 /	4	0.324	0.80
	1064 /		0.227	0.56
28	1065 /	2	0.202	0.50
29	1346 /	4	0.202	0.50
30	1353 /	1	0.214	0.53
31	1354 /	1	0.113	0.28
32	1361 /	2	0.057	0.14
33	1387 /	2	0.049	0.12
34	1387 /	3	0.053	0.13
35	1387 /	4	0.053	0.13
36	1387 /	5	0.049	0.12
37	1405 /	1	0.141	0.35
38	1408 /	4	0.267	0.66
TOTAL			9.212	22.76




 अधीक्षक भू-अभिलेख
 परिवर्तित भूमि
 जिला-जाँजगीर-बाँसा (छ.ग.)

न्यायालय
अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि
जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.)

अदालत अधीक्षक भू-अभिलेख (परि.भूमि.) जांजगीर-चांपा
(परिवर्तित भूमि पर पुर्निर्धारण, प्रब्याजि तथा जुर्माना का सूचना पत्र)

नोटिस प्रपत्र "बी"

बनाम

मेसर्स के.एस.के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड की ओर से महाप्रबंधक निवासी ग्राम.....

प. ह. न. तहसील अकलतरा जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)

(1) आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि पर गैर-काश्तकारी उपयोग में लाये जाने के कारण राजस्व मामला क्रमांक 134/अ-2/2009-10 के अन्तर्गत कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी जांजगीर के आदेश दिनांक 23.02.2010 के अनुसार निम्नलिखित पुर्ननिर्धारण (जमा निर्धारण) किया गया है। अधीक्षक भू-अभिलेख परि.भूमि जांजगीर के राजस्व प्र. क्र. 159.....बी-121/2016-17 आदेश दिनांक 21.6.17 के अनुसार

नाम ग्राम मय बन्दोबस्त नम्बर प.ह.न.	खसरा नम्बर सर्वे नम्बर प्लॉट नम्बर	परिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल	अंतिम रूप से निर्धारित किया गया संशोधित पुर्ननिर्धारण (जमा)
ग्राम - अमोरा प.ह.न. - 14 तहसील- अकलतरा जिला-जांजगीर-चांपा	योग -33 सूची संलग्न हैं। प्लॉट नम्बर 90	20.61 एकड़ (898596 वर्ग फुट) (औद्योगिक)	पुनर्निर्धारण 109180.00 रु.वार्षिक पंचायत उपकर 54590.00 रु.वार्षिक अ.सं.वि.उ.कर 8,189.00 रु.वार्षिक पर्यावरण उप. 8,189.00 रु.वार्षिक देय दिनांक 01.10.2008 अर्थदण्ड..... निरंक कृषि भू.रा. कमी 19.75 रु.



टीप:-

- चालान क्रमांक. 247 / 17923513 दिनांक 24.02.2010 के द्वारा पु.नि.,पं.उ.कर एवं प्रब्याजि योग 411090.00 रुपये जमा किया गया है।
- संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश बिलासपुर के शर्तों का पालन अनिवार्य है।
- छ.ग.शासन पर्यावरण विभाग के नियमानुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य है।
- अन्य किसी भूमि-स्वामी के भूमि तक पहुंचने के लिये रास्तें बंद नहीं किये जायेगे।
- गंदा जल निकास/शुद्धीकरण के लिये पर्याप्त एवं उचित उपाय किया जायेगा।
- किसी भी प्रकार सार्वजनिक हित में व्यवधान उत्पन्न होने पर अनुज्ञा रद्द मानी जावेगी।

(2) आपको यह भी सूचित किया जाता है कि काश्तकारी भूमि गैर काश्तकारी भूमि कामो में परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप आप पर प्रीमियम (प्रब्याजि) 247320.00 रु और जुर्माना. निरंक रु. किया जाता है, जो आप खजाने में जमा कर चालान दिनांक 24.02.2010 को इस अदालत में प्रस्तुत किया है।

अधीक्षक भू-अभिलेख
परिवर्तित भूमि
जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

Detail Of Survey No. For Diversion Village - Amora					
Sl.No.	Survey No.	Hactor	Acre	Revenue	
1	986 / 1	0.036	0.09	0.10	
2	986 / 2	0.243	0.60	0.60	
3	988 / 2	0.129	0.32	0.40	
4	989 / 1	0.089	0.22	0.25	
5	989 / 2	0.121	0.30		
6	989 / 4	0.364	0.90	0.50	
7	990 / 1	0.121	0.30	0.30	
8	990 / 3	0.105	0.26	0.30	
9	992 / 1	0.231	0.57	0.60	
10	992 / 3	0.405	1.00	1.00	
11	992 / 5	0.405	1.00	1.00	
12	1000 / 5	0.324	0.80	0.80	
13	1005 / 2	0.781	1.93	2.00	
14	1006 / 18	0.089	0.22	0.25	
15	1006 / 20	0.077	0.19		
16	1041 / 8	0.243	0.60	0.60	
17	1041 / 10	0.388	0.96	1.00	
18	1041 / 11	0.146	0.36	0.40	
19	1042 / 9	0.324	0.80	0.50	
20	1258 / 1	0.394	0.97	0.50	
21	1327 / 1	0.194	0.48	0.50	
22	1332 / 1	0.146	0.36	0.40	
23	1332 / 2	0.162	0.40	0.40	
24	1334 /	0.458	1.13	1.00	
25	1363 / 3	0.142	0.35	0.40	
26	1369 /	0.150	0.37		
27	1384 / 1	0.004	0.01	0.10	
28	1394 /	0.113	0.28	0.30	
29	1396 /	0.405	1.00	1.00	
30	1398 / 1	0.154	0.38	0.40	
31	1401 /	0.372	0.92	1.00	
32	1408 / 5	0.809	2.00	2.00	
33	1410 / 1	0.219	0.54	0.50	
TOTAL		8.343	20.61		



अधीक्षक भू-अभिलेख
परिवर्तित भूमि
जिला-जाँजगीर-चाम्पा (उ.ग.)

न्यायालय
अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि
जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.)

अदालत अधीक्षक भू-अभिलेख (परि.भूमि.) जांजगीर-चाम्पा
(परिवर्तित भूमि पर पुर्निर्धारण, प्रब्याजि तथा जुर्माना का सूचना पत्र)

नोटिस प्रपत्र "बी"

बनाम

मेसर्स के.एस.के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड की ओर से महाप्रबंधक निवासी ग्राम.....

प. ह. न. तहसील अकलतरा जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)

(1) आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि पर गैर-काश्तकारी उपयोग में लाये जाने के कारण राजस्व मामला क्रमांक 36/अ-2/2009-10 के अन्तर्गत कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी जांजगीर के आदेश दिनांक 05.02.2011 के अनुसार निम्नलिखित पुनर्निर्धारण (जमा निर्धारण) किया गया है। अधीक्षक भू-अभिलेख परि.भूमि जांजगीर के राजस्व प्र. क्र. 159.....बी-121/2016-17 आदेश दिनांक 21.6.17 के अनुसार

नाम ग्राम मय बन्दोबस्त नम्बर प.ह.न.	खसरा नम्बर सर्वे नम्बर प्लॉट नम्बर	परिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल	अंतिम रूप से निर्धारित किया गया संशोधित पुर्ननिर्धारण (जमा)
ग्राम - अमोरा प.ह.न. - 14 तहसील- अकलतरा जिला-जांजगीर-चांपा	योग -10 सूची संलग्न हैं। प्लॉट नम्बर 84	4.16 एकड़ (181376 वर्ग फुट) (औद्योगिक)	पुनर्निर्धारण 22037.00 रु.वार्षिक पंचायत उपकर 11019.00 रु.वार्षिक अ.सं.वि.उ.कर 1,653.00 रु.वार्षिक पर्यावरण उप. 1,653.00 रु.वार्षिक देय दिनांक 01.10.2010 अर्थदण्ड..... निरंक कृषि भूरा. कमी 4.27 रु.



टीप:-

- चालान क्रमांक. 25583582 दिनांक 05.04.2011 के द्वारा पु.नि.,पं.उ.कर एवं प्रब्याजि योग 82976.00 रुपये जमा किया गया है।
- संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश बिलासपुर के शर्तो का पालन अनिवार्य है।
- छ.ग.शासन पर्यावरण विभाग के नियमानुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य है।
- अन्य किसी भूमि-स्वामी के भूमि तक पहुचने के लिये रास्तें बंद नही किये जायेगे।
- गंदा जल निकास/शुद्धीकरण के लिये पर्याप्त एवं उचित उपाय किया जायेगा।
- किसी भी प्रकार सार्वजनिक हित में व्यवधान उत्पन्न होने पर अनुज्ञा रद्द मानी जावेगी।

(2) आपको यह भी सूचित किया जाता है कि काश्तकारी भूमि गैर काश्तकारी भूमि कामो में परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप आप पर प्रीमियम (प्रब्याजि) 49920.00 रु और जुर्माना. निरंक रु. किया जाता है, जो आप खजाने में जमा कर चालान दिनांक 13.04.2011 को इस अदालत में प्रस्तुत किया है।

अधीक्षक भू-अभिलेख

परिवर्तित भूमि

जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

Details of Survey No. List Village Amora P.H. No 14			
Sl. No.	Khasra No.	Area in acre	Area in Hectare
1	1236/1	0.82	0.332
2	1236/3	0.65	0.263
3	1236/4	0.30	0.121
4	1259 (P)	0.09	0.036
5	1272/1	0.73	0.295
6	1272/8	0.40	0.162
7	1403	0.50	0.202
8	1408/6	0.34	0.138
9	1408/7	0.17	0.069
10	1408/9	0.16	0.065
	Total Area	4.16	1.684



अधीक भू-अधिकार
परिवर्तित भूमि
जिला-जौजरीर-बाम्पा (छ.ग.)

अदालत अधीक्षक भू-अभिलेख (परि.भूमि.) जांजगीर-चाम्पा
(परिवर्तित भूमि पर पुर्निर्धारण, प्रब्याजि तथा जुर्माना का सूचना पत्र)

नोटिस प्रपत्र "बी"

बनाम

मेसर्स के.एस.के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड की ओर से महाप्रबंधक निवासी ग्राम.....

प. ह. न. तहसील अकलतरा जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)

(1) आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि पर गैर-काश्तकारी उपयोग में लाये जाने के कारण राजस्व मामला क्रमांक 37/अ-2/2009-10 के अन्तर्गत कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी जांजगीर के आदेश दिनांक 05.02.2011 के अनुसार निम्नलिखित पुर्ननिर्धारण (जमा निर्धारण) किया गया है। अधीक्षक भू-अभिलेख परि.भूमि जांजगीर के राजस्व प्र. क्र. 159.....बी-121/2016-17 आदेश दिनांक 21.6.17 के अनुसार

नाम ग्राम मय बन्दोबस्त नम्बर प.ह.न.	खसरा नम्बर सर्वे नम्बर प्लॉट नम्बर	परिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल	अंतिम रूप से निर्धारित किया गया संशोधित पुर्ननिर्धारण (जमा)
ग्राम - अमोरा प.ह.न. - 14 तहसील- अकलतरा जिला-जांजगीर-चांपा	योग -10 सूची संलग्न हैं। प्लॉट नम्बर 85	7.98 एकड़ (347928 वर्ग फुट) (औद्योगिक)	पुनर्निर्धारण 42273.00 रु.वार्षिक पंचायत उपकर 21137.00 रु.वार्षिक अ.सं.वि.उ.कर 3,170.00 रु.वार्षिक पर्यावरण उप. 3,170.00 रु.वार्षिक देय दिनांक 01.10.2010 अर्थदण्ड..... निरंक कृषि भूरा. कमी 8.97 रु.



टीप:-

- चालान क्रमांक. 25812834 दिनांक 05.04.2011 के द्वारा पु.नि.,पं.उ.कर एवं प्रब्याजि योग 159170.00 रुपये जमा किया गया है।
- संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश बिलासपुर के शर्तों का पालन अनिवार्य है।
- छ.ग.शासन पर्यावरण विभाग के नियमानुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य है।
- अन्य किसी भूमि-स्वामी के भूमि तक पहुचने के लिये रास्ते बंद नहीं किये जायेगे।
- गंदा जल निकास/शुद्धीकरण के लिये पर्याप्त एवं उचित उपाय किया जायेगा।
- किसी भी प्रकार सार्वजनिक हित में व्यवधान उत्पन्न होने पर अनुज्ञा रद्द मानी जावेगी।

(2) आपको यह भी सूचित किया जाता है कि काश्तकारी भूमि गैर काश्तकारी भूमि कामो में परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप आप पर प्रीमियम (प्रब्याजि) 95760.00 रु और जुर्माना. निरंक रु. किया जाता है, जो आप खजाने में जमा कर चालान दिनांक 13.04.2011 को इस अदालत में प्रस्तुत किया है।

अधीक्षक भू-अभिलेख
परिवर्तित भूमि
जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

Details of Diverted Survey No Village - Amora P.H. No 14				
Sl. No.	Khasra No.	Area in acre	Area in Hectare	Revenue Rs.
1	1224/2	0.65	0.263	0.65
2	1233/2	0.30	0.121	0.95
3	1262/11	0.46	0.186	0.50
4	1262/12	0.96	0.389	0.96
5	1262/13	0.20	0.081	0.20
6	1266/2	0.25	0.101	0.25
7	1267/1	0.16	0.065	0.16
8	1269/2	1.30	0.526	1.30
9	1335/1	0.46	0.186	0.50
10	1335/3	1.00	0.405	1.00
11	1335/7	0.50	0.202	0.50
12	1411/1	0.87	0.352	1.00
13	1411/2	0.87	0.352	1.00
	Total Area	7.98	3.231	8.97




 अधीक्षक भू-जमीन
 परिवर्तित भूमि
 जिला-जौजगीर-चाम्पा (छ.ग.)